न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	निर्णय दिनांक	पीठासीन अधिकारी
42/प्रा0प0/2023	18.07.2023	25.10.2024	हरबिन्दर डी0 सिंह, आर0ए0एस0

1. देवलाल आत्मज श्री कजोड़ जाति कुमहावत निवासी बून्दी हाल निवासी बालेता रोड़ सन्तोष साईकिल वाले की गली बालेता रोड़ कुन्हाड़ी, कोटा जिला कोटा (राज०)
2. चौथमल आत्मज कजोड़ जाति कुमहावत निवासी रजत गृह, गेट नम्बर 6 के सामने बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी (राज०)

—प्रार्थीगण

—बनाम—

1. कजोड़ आत्मज सेवा जाति कुमहावत निवासी सोमाणी जी की चक्की वाली गली, रामचन्द्र जी थानादार के मकान के पास बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी
2. कालू आत्मज कजोड़ जाति कुमहावत निवासी सोमाणी जी की चक्की वाली गली, रामचन्द्र जी थानादार के मकान के पास बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी
3. ओम प्रकाश आत्मज कजोड़ जाति कुमहावत निवासी सोमाणी जी की चक्की वाली गली, रामचन्द्र जी थानादार के मकान के पास बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी (राज०)
4. राजस्थान राज्य जर्ये श्रीमान उप पंजीयक महोदय, बून्दी जिला बून्दी (राज०)
5. राजस्थान राज्य जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब बून्दी जिला बून्दी (राज०)

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित— प्रार्थी की ओर से एडवोकेट श्री लीलाधर सिंह।

निर्णय

प्रार्थना–पत्र वास्ते निर्णय पेश हुआ। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं उपरोक्त शीर्षक वाद प्रार्थीगण ने इस आदरणीय न्यायालय की सेवा मे प्रस्तुत कर दिया है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। कृषि भूमि खसरा संख्या 521/187 रकबा 0.3422 है0, खसरा संख्या 523/507 रकबा 0.0307 है0, खसरा संख्या 525/308 रकबा 0.1538 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.5267 है0 वाके ग्राम रघुवीरपुरा, पटवार हल्का हट्टीपुरा, भू अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र बून्दी, तहसील एवं जिला बून्दी (राज०) में विस्थित है जिसके वर्तमान खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 कजोड़ है। कृषि भूमि खसरा संख्या 186 रकबा 0.5768 है0, खसरा संख्या 330/262 रकबा 0.1154 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.6922 है0 वाके ग्राम रघुवीरपुरा, पटवार क्षेत्र हट्टीपुरा, भू०अभि०नि० क्षेत्र बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी (राज०) में विस्थित है। जिसकी वर्तमान जमाबन्दी में अप्रार्थी संख्या 1 कजोड़ वल्द सेवा रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज है। कृषि भूमि खसरा संख्या 139 रकबा 1.4457 है0 वाके ग्राम सीलोर, पटवार क्षेत्र. सीलोर भू०अभि०नि० क्षेत्र सीलोर तहसील एवं जिला बून्दी (राज०) में विस्थित है। जिसकी वर्तमान जमाबन्दी में बलमा पुत्र भंवर लाल हिस्सा 1/2, सेवा पुत्र भंवर लाल [illegible] 1/2 खातेदार दर्ज है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियां प्रार्थीगण की पुश्तैनी व [illegible] व सम्पत्तियां है। जो प्रार्थीगण के दादा–परदादा के जीवन काल से लगातार [illegible] कब्जे काश्त व खातेदारी में चली आ रही है। पूर्व में उक्त भूमि प्रार्थी के दादा [illegible] वल्द भंवर लाल कौम कुमहावत के खातेदारी में दर्ज थी। जिसका [illegible] रिकॉर्ड संलग्न है प्रार्थी के [illegible] सेवा वल्द भंवर लाल के बाद उक्त भूमि प्रार्थी के पिता [illegible]जोड़ व काकाजी लादू [illegible]सत में प्राप्त हुई इस प्रकार उक्त भूमि पुश्तैनी व पैतृक कृषि भूमि होने के कारण प्रार्थीगण देवलाल व चोथमल को जन्म से ही उक्त भूमियों में हक अधिकार उत्पन्न हो गये है। प्रार्थीगण व्यस्क हो गये है एवं प्रार्थीगण पृथक–पृथक परिवार में निवास करते है अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.03.01 13:35:19 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1 से पृथक रहते है। परन्तु प्रार्थीगण के पास आमद का कोई जरिया नही है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 राजीनामा से मुकर गये हैं एवं उक्त भूमि का विधिवत रूप से बंटवारा करवाने से भी मना कर रहे है। प्रार्थी अपने पिता कजोड़ आत्मज सेवा के हिस्से की भूमि में से प्राप्त अपना हिस्सा बंटवारा करवा करके अपने अधिकार में प्राप्त करना चाहता है जिसका वे अधिकारी है प्रार्थीगण के पिता कजोड़ के चार पुत्र वारिस व उत्तराधिकारी है जो निम्न है–(1) प्रार्थी देवलाल (2) प्रार्थी चौथमल (3) अप्रार्थी कालू (4) अप्रार्थी ओमप्रकाश जाईन्दा पुत्र है। जो अप्रार्थी संख्या 1 कजोड़ आत्मज सेवा की प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि में जन्म से ही हक व अधिकार रखते है एवं उक्त भूमि में प्रार्थीगण का जन्म से ही हित निहित हो गया है जिसे प्राप्त करने के प्रार्थीगण कानूनी रूप से अधिकारी है। सेवा वल्द भंवर लाल प्रार्थीगण देवलाल व चोथमल एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के दादा जी अप्रार्थी संख्या 1 के पिता जी होने से एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमियां प्रार्थीगण के पिता कजोड जी को विरासत व उत्तराधिकार में प्राप्त होने से एवं उक्त भूमियां सेवा वल्द भंवर लाल जी की होने से एवं पैतृक कृषि भूमि होने से प्रार्थीगण का स्वतः ही उक्त भूमियों में अधिकार उत्पन्न हो गया हैं जिसका बंटवारा व अधिकारो की घोषणा करवाने के प्रार्थीगण अधिकारी है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण के पिता कजोड़ आत्मज सेवा के नाम खातेदारी में दर्ज हैं जिसमें से प्रार्थीगण देवलाल का 1/5 हिस्सा, चोथमल का 1/5 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या कजोड का 1/5 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 कालू का 1/5 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 3 ओम प्रकाश का 1/5 हिस्सा निहित है। इसी प्रकार प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण के पिता कजोड़ आत्मज सेवा के नाम खातेदारी में दर्ज हैं जिसमें से भी प्रार्थीगण देवलाल का 1/5 हिस्सा, चोथमल का 1/5 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1 कजोड का 1/5 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 कालू का 1/5 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 3 ओम प्रकाश का 1/5 हिस्सा निहित है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने उक्त भूमि को बंटवारा करवाने से मना कर दिया है इस कारण उक्त भूमि का बंटवारा करवाकर अपने खातेदारी अधिकार घोषित करवाने के प्रार्थीगण अधिकारी हैं इस हेतु प्रार्थीगण उक्त प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 व 3 में वर्णित कृषि भूमियो में निहित अपने 1/5–1/5 हिस्से की भूमियों पर अपने अधिकारो की घोषणा करवाकर उक्त हिस्से अनुसार प्रार्थीगण माननीय न्यायालय से भूमियों का बटवारा करवाने के अधिकारी हैं। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित कृषि भूमि वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 के पिता सेवा पुत्र भंवर लाल का हिस्सा 1/2 खातेदारी में दर्ज चला आ रहा हैं चूंकि सेवाजी का देहान्त हो चुका हैं। लेकिन उक्त भूमि में प्रार्थीगण के पिता कजोड का नामान्तरण दर्ज नही हुआ हैं उक्त भूमि में प्रार्थीगण के पिता कजोड का 1/4 हिस्सा निहित हैं इस कारण प्रार्थीगण उक्त भूमि में प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी संख्या 1 कजोड के 1/4 हिस्से में से बटवारा प्राप्त करके अपने अधिकारो की घोषणा करवाने के अधिकारी है। इस प्रकार उक्त भूमि में से कजोड आत्मज सेवा जी को प्राप्त होने वाली भूमि में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्से का बंटवारा करवाकर उक्त अनुसार अपने अधिकारो की घोषणा करवाने के प्रार्थीगण अधिकारी है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमियां प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी संख्या 1 कजोड़ के खातेदारी में दर्ज चली आ रही हैं इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 कजोड़ अपनी वाद वर्णित कृषि भूमियों में से अपने अन्य पुत्रों अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के साथ मिलकर उनको नाजायज लाभ पहुँचाने की गरज से एवं प्रार्थीगण को नुकसान पहुंचाने की नियत से उक्त वाद वर्णित कृषि भूमि को खुर्द बुर्द, स्थानान्तरण, रहन बेचान करके, प्रार्थीगण को अपने अधिकारो से वंचित करना [illegible] अप्रार्थी संख्या 1 कजोड़ के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना अति आवश्यक हो [illegible] क्योंकि पूर्व में भी इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के [illegible] भूमियों को बेचान करने की नियत से एवं प्रार्थीगण के अधिकारो [illegible] नुकसान पहुंचाने की नियत से प्रार्थीगण के खिलाफ कृत्य किया था जिस कारण तत्समय दिनांक 17.06.2013 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के खिलाफ प्रार्थी देवलाल ने [illegible] वाद संख्या 142/13 व अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र संख्या 117/13 बउनवान देवलाल बनाम कजोड वगै0 माननीय न्यायालय में पेश किया था जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक 09.04.2013 को अप्रार्थीगण के खिलाफ उक्त भूमियों को रहन बेचान नही करने व रिकॉर्ड की यथास्थित बनाये रखने का स्थगन आदेश जारी किया था। जो लगातार प्रभावी रहा। इस दौरान

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.03.01 13:35:19 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी संख्या लगायत 3 ने प्रार्थीगण से राजीनामा किया एवं उक्त वाद पत्र में वर्णित भूमियों में निहित प्रार्थीगण के हिस्से की भूमियों को देने व संभलाने का राजीनामा दिनांक 06.07.2021 को निष्पादित करके माननीय न्यायालय में पेश किया। जिसके अनुसार माननीय न्यायालय के द्वारा उक्त वाद का निस्तारण किया गया एवं एक राजीनामा अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में 100/–रूपये के नोनजुडिशियल स्टाम्प पर निष्पादित करवाकर प्रार्थीगण को दिया उसके बाद अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने भूमि खसरा संख्या 129 रकबा 0.3153 है0 ग्राम छत्रपुरा तहसील व जिला बून्दी को अनिकेत गर्ग व नेहा गर्ग को बेचान कर दिया एवं अब अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के मन में बदयान्ति आ रही हैं चूकि राजीनामा करके वाद व स्थगन को खारिज करवा दिया इस कारण अब अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 उक्त वाद पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 3 में वर्णित भूमियों को रहन बेचान करने पर आमादा हो रहे एवं राजीनामा की पालना करने से साफतौर से मना कर दिया हैं एवं पूर्व की तरह ही लडाई झगडा करके धमकी लगा रहे हैं भूमि हमारे नाम हम उसको बेचान करके उसमें से तुम्हे कोई हिस्सा नहीं देगें। इस कारण प्रार्थीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 को माननीय न्यायालय से इस प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाये कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2, 3, 4 में वर्णित कृषि भूमियों के खाते में अप्रार्थी संख्या 1 का नाम दर्ज होने के आधार एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 अप्रार्थी संख्या का सहयोग करने के आधार पर उक्त भूमियों को रहन बेचान एवं भारग्रस्त नही करें, उक्त भूमियों खुर्द बुर्द नही करें, उक्त भूमियों की किस्म परिवर्तन नही करवाये, उक्त भूमियों में भूखण्ड काटकर बेचान नही करें, प्रार्थीगण को उनके 1/5–1/5 हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करने से नही रोके, प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में बाधा नही पहुंचाये, प्रार्थीगण को बेदखल नही करें, प्रार्थीगण के हिस्से पर जबरन कब्जा नही करें, ऐसे कार्य में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 अप्रार्थी संख्या 1 का सहयोग नही करें ऐसा कार्य अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 न तो स्वयं करें न ही अन्य से करवाये एवं अप्रार्थी संख्या 4 को इस प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि वह प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2, 3, 4 में वर्णित कृषि भूमि के सम्बंध में किसी प्रकार का नामान्तरण व इन्द्राज परिवर्तन नही करें एवं अप्रार्थी संख्या 5 को इस प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि वह प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2, 3, 4 में वर्णित कृषि भूमियों के सम्बंध में प्रस्तुत किसी भी प्रकार के अन्तरण दस्तावेज, दान, बक्शीस, रिलीज, विक्रय पत्र का पंजीयन नही करें।क राजस्थान सरकार के द्वारा काश्तकारों के कृषि जोत विभाजन की प्रकिया के सम्बन्ध में समस्त संभागीय आयुक्त राजस्थान एवं समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान को एक आदेश क्रमांक प० 5 (1) राज–6/1997/18 दिनांक 08.01.2007 यह जारी किया गया कि विभागीय परिपत्र दिनांक 8.9.1997 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि पुत्र को अपने पिता की पैतृक भूमि पर जन्म से ही अधिकार है हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में पिता की पैतृक सम्पत्ति में पुत्र/पुत्री दोनो का जन्म से ही अधिकार होता है इसलिए पुत्र/पुत्री दोनों ही अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवन काल में ही जोत का विभाजन करवा सकते है। पैतृक कृषि भूमि में पिता के साथ–साथ पुत्र/पुत्री भी सहकृषक होते है चाहे राजस्व रिकॉर्ड में इसका अंकन नहीं भी हो। इसलिए पुत्र/पुत्री अपने पिता की पैतृक भूमि पिता के जीवन काल में ही सहकृषक होने के नाते राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अनुसार जोत का विभाजन करवा सकते है। यदि पैतृक भूमि के जोत विभाजन के सम्बन्ध में पिता या अन्य पुत्र/पुत्री सहमत नही हो तो ऐसी अवस्था मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद पेश कर जोत का विभाजन करवाया जा सकता है। इस प्रकार का आदेश राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी किया हुआ है जो अनवरत जारी है जिसके तहत प्रार्थीगण माननीय न्यायालय से अपने हिस्से अनुसार प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2, 3, 4 में वर्णित कृषि भूमियों को बंटवारा करवाकर अपने हिस्से अनुसार खातेदारी में अंकित करवाने की डिक्री करवाने के अधिकारी है। उक्त आदेश की प्रति इस वाद पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। अप्रार्थी संख्या 1 कजोड़ ने अप्रार्थी संख्या 2 व 3 से सांठ–गाठ करके उनको लाभ पहुँचाने के लिए प्रार्थीगण को नुकसान पहुंचाने की नियत से पूर्व के वाद में राजीनामा करके स्थगन को खारिज करवा दिया उसके बाद 2 बीघा भूमि का बेचान कर दिया एवं राजीनामा की पालना भी नही की

Signature Not Verified
Digitally signed by Harvinder Singh
Date: 2025.03.01 13:35:19 IST
Reason: SelfAttested

एवं प्रार्थीगण को लगातार धमकी लगा रहे है कि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के खाते में दर्ज है जिसे वह बेचान करके रहेगा प्रार्थीगण को कोई भूमि नही देगा एवं उक्त भूमि का विधिवत रूप से बटवारा करने से भी मना कर दिया एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 भी अप्रार्थी संख्या 1 का सहयोग कर रहे हैं अभी एक माह पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने प्रार्थीगण से लडाई झगडा किया व प्रार्थीगण को धमकी लगाई कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 3 में वर्णित भूमियों में से तुम्हे कोई हिस्सा व भूमि नही देगें। उक्त भूमि को हम प्लानिंग काटकर बेचान करके रहेगें। उक्त भूमि का बटवारा करने से व प्रार्थीगण को उनका हिस्सा देने से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने साफ मना कर दिया। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 को इस प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2, 3, 4 में वर्णित कृषि भूमियों के खाते में अप्रार्थी संख्या 1 का नाम दर्ज होने के आधार एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 अप्रार्थी संख्या 1 का सहयोग करने के आधार पर उक्त भूमियों को रहन बेचान एवं भारास्त नही करें, उक्त भूमियों खुर्द बुर्द नहीं करें, उक्त भूमियों की किस्म परिवर्तन नही करवाये, उक्त भूमियों में भूखण्ड काटकर बेचान नही करें, प्रार्थीगण को उनके 1/5–1/5 हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करने से नही रोके, प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में बाधा नही पहुंचाये, प्रार्थीगण को बेदखल नही करें, प्रार्थीगण के हिस्से पर जबरन कब्जा नही करें, ऐसे कार्य में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 अप्रार्थी संख्या 1 का सहयोग नही करें ऐसा कार्य अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 न तो स्वयं करें न ही अन्य से करवाये। अप्रार्थी संख्या 4 को इस प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि वह प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2, 3, 4 में वर्णित कृषि भूमि के सम्बंध में किसी प्रकार का नामान्तरण व इन्द्राज परिवर्तन नही करें एवं अप्रार्थी संख्या 5 को इस प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि वह प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2, 3, 4 में वर्णित कृषि भूमियों के सम्बंध में प्रस्तुत किसी भी प्रकार के अन्तरण दस्तावेज, दान, बक्शीश, रिलीज, विक्रय पत्र का पंजीयन नही करें। अन्य न्यायोचित सहायता वादीगण को प्रदान कराई जावे।

उक्तानुसार प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बार–बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी अप्रार्थीगण द्वारा पत्रावली में कोई जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने से उनका जवाब बंद किया गया।

बहस सुनी गई। दौराने बहस अप्रार्थीगण अनुपस्थित होने बहस एक पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और व्यक्त किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 लगायत 4 में वर्णित समस्त भूमियां पेतृक हैं, जिनमें प्रार्थीगण का जन्म से ही अधिकार निहित हैं व प्रार्थीगण सहकृषक हैं। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से भूमियों के बंटवारे हेतु कई बार तकाजा किया गया हैं किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने स्पष्ट मना कर दिया हैं और लड़ाई–झगड़े पर आमादा हो रहे हैं। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 भी अप्रार्थी संख्या 1 का सहयोग कर रहे हैं। अप्रार्थी संख्या 1 विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में उनके नाम होने से भूमि को अन्य दिगर व्यक्तियों को बेचान करने पर आमादा हैं। उक्त भूमियों के बंटवारे के संबंध में प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में भी श्रीमान् के समक्ष वाद प्रस्तुत किया था, जिस पर श्रीमान् न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा छल–कपट पूर्ण एक राजीनामा प्रार्थीगण के पक्ष में बंटवारे हेतु निष[illegible] प्रार्थीगण से वाद का निस्तारण करवा दिया था, किन्तु अप्रार्थीगण अब उस राजीनामें से भी मुकर गये हैं और प्रार्थीगण को भूमि में से अपना हिस्सा नहीं दे रहे हैं। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अप्रार्थीगण को दौराने वाद भूमि को रहन, बेचान व खुर्दबुर्द [illegible] अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.03.01 16:35:19 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनने के उपरान्त हमारे द्वारा बहस पर मनन किया गया और पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। ग्राम रघुवीरपुरा की जमाबंदी सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 199 पुराना 16 कुल किता 3 कुल रकबा 0.5267 है0, खाता संख्या 17 पुराना 15 कुल किता 2 कुल रकबा 0.6922 है0 में अप्रार्थी संख्या 1 कजोड़ पुत्र सेवा खातेदार दर्ज रेकार्ड

एवं ग्राम सीलोर की जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 खाता संख्या 417 पुराना 401 की आराजी खसरा संख्या 139 रकबा 1.4457 में सेवा पुत्र भंवरलाल हिस्सा 1/2 दर्ज रेकार्ड हैं। प्रार्थीगण द्वारा पत्रावली के साथ ऐसा कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया हैं, जिससे प्रमाणित हो कि विवादित आराजी पक्षकारों की पेतृक भूमि हो, किन्तु प्रार्थना पत्र में भूमि के संबंध में अंकित न्यायालय हाजा के पूर्व वाद के प्रार्थना पत्र संख्या 117/प्रा0प0/2013 के निर्णय दिनांक 09.07.2013 से प्रकट होता हैं कि विवादित आराजी पक्षकारों की पेतृक सम्पत्तियां ही हैं। जिस पर सभी पक्षकारों का समान रूप से अधिकार निहित हैं। सम्पत्तियां पेतृक होने से प्रार्थीगण का प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रमाणित हैं एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। वादग्रस्त आराजी का अभी विधिवत बंटवारा भी नहीं हुआ हैं, ऐसी स्थिति में यदि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजी को रहन, बय किया जाता हैं अथवा किसी भी प्रकार से खुर्द–बुर्द किया जाता हैं तो पक्षकारों के मध्य अनावश्यक विवाद बढ़ेगा और व्यर्थ की मुकदमेंबाजी होगी और अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति की सम्भावना बनी रहेगी। उक्त स्थिति को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थीगण को दौराने वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं एवं अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि वह वाद के निर्णय तक विवादित आराजी खाता संख्या 199 के खसरा संख्या 521/187 रकबा 0.3422 है0, खसरा संख्या 523/507 रकबा 0.0307 है0, खसरा संख्या 525/508 रकबा 0.1538 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.5267 वाके ग्राम रघुवीरपुरा, खाता संख्या 17 के खसरा संख्या 186 रकबा 0.5768 है0, खसरा संख्या 330/262 रकबा 0.1154 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.6922 है0 वाके ग्राम रघुवीरपुरा की सम्पूर्ण आराजी एवं आराजी खाता संख्या 417 के खसरा संख्या 139 रकबा 1.4457 है0 वाके ग्राम सीलोर में अप्रार्थी संख्या 1 के निहित हिस्से 1/2 के मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें तथा प्रार्थीगण के कब्जे–काश्त में किसी प्रकार की मदाहमद–मदाखलत नहीं करे, ऐसा न तो स्वयं करे न अन्य से करावें। पत्रावली फैसले में शुमार होकर नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी0 सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बून्दी

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.03.01 13:35:19 IST
Reason: SelfAttested